न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 05/2020 एवं 02/2022

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यापीठ समिति चौमू जिला जयपुर निदेशक विवेकानंद तंवर पुत्र सुवालाल तंवर जाति माली सा. बलखेन खातेदार।

अप्रार्थी

(रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थिति : 1. श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

दिनांक 19.02.2026

:–निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पीपली का बास तहसील बसवा जिला दौसा की भूमि एकीकरण संवत 2017 के खाता संख्या 59 के अनुसार खसरा नम्बर 133 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज पुजारी सेडूराम पुत्र जयनारायण कौम ब्राहमण के नाम दर्ज रही है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व में ग्राम धपावन कलां व वर्तमान में नया राजस्व ग्राम पीपली का बास होने से ग्राम पीपली का बास में उक्त भूमि स्थित है। जो तहसील बसवा की राजस्व सीमा में आती है। उक्त भूमि के हाल नये खसरा नम्बर 109 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.05 है0 कुल किता 5 रकबा 1.67 है0 माफी मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज की भूमि रही है। परन्तु उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों की गलती से विधि विरूद्ध बिना किसी अधिकार के पुजारी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। हाल खातेदार महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यापीठ समिति चौमू जिला जयपुर निदेशक विवेकानन्द पुत्र सुवालाल तंवर जाति माली सा. बलखेन की खातेदारी हजफ किया जाकर पुनः माफी मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज विराजमान साकिन देह ग्राम पीपली का बास के नाम खातेदारी दर्ज किया जाने हेतु तहसीलदार बसवा द्वारा यह रेफरेन्स इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी को तलबी हेतु जारी रजिस्टर्ड नोटिस लौट कर प्राप्त नही हुआ और न ही अप्रार्थी उपस्थित हुआ। उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गयी ।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीपली का बास तहसील बसवा जिला दौसा स्थित भूमि खसरा नम्बर 133 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा एकीकरण सवंत 2017 के खाता सं. 59 के अनुसार माफी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज पुजारी सेडूराम पुत्र जयनारायण कौम ब्राहमण के नाम दर्ज रही है। जिसके हाल खसरा नम्बर 109 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.05 है0 कुल किता 5 रकबा 1.67 है0 है। उक्त भूमि एकीकरण से माफी मन्दिर सीतारामजी महाराज की

अति० जिला कलक्टर
दौसा

खातेदारी में चली आ रही है। उक्त भूमि से माफी मन्दिर श्री सीतारामजी महाराज का नाम हजब कर दिया गया है। जमाबन्दी संवत 2074–77 में उक्त भूमि महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यापीठ समिति चौमू जिला जयपुर निदेशक विवेकानन्द तंवर पुत्र सुवालाल तंवर जाति माली सा. बलखेन की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रचलित नियमों के अन्तर्गत मंदिर माफी की भूमि किसी व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज किया जाना या किसी व्यक्ति के नाम विक्रय/विरासत में परिवर्तन किया जाना अवैधानिक है। उक्त तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स स्वीकार कर इस प्रकरण को राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत राजस्व मण्डल राज. अजमरे को रेफरेन्स करने की कृपा करें

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । भूमि एकीकरण संवत 2017 के खाता सं. 59 में आराजी ख.नं. 133 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी माफी मन्दिर श्री सीताराम जी वाहतमाम पुजारी सेडूराम पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण दर्ज है। उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 109 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 136 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.05 है0 कुल किता 5 रकबा 1.67 है0 ग्राम पीपली का बास तहसील बसवा बने हैं। जमाबन्दी संवत 2074–77 में उक्त भूमि महात्मा ज्योतिबा फूले विद्यापीठ समिति चौमू जिला जयपुर निदेशक विवेकानन्द तंवर पुत्र सुवालाल तंवर जाति माली सा. बलखेन की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि को माफी मन्दिर श्री सीताराम जी से हटाकर अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज किया जाना नियम विरूद्ध होने के कारण अवैधानिक है। ऐसी स्थित में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार बसवा को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

19/2/26
(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

19/2/26
(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर दौसा